

पत्र संख्या 212

उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ

Email- contactuprera@up-rera.in / यू०पी0रेरा / 2024—25 दिनांक ८०

दिनांक 08 जनवरी,2025

1. समस्त रियल इस्टेट प्रमोटर्स,

2. समस्त रियल इस्टेट एजेन्ट्स

विषय—भू—सम्पदा परियोजनाओं के प्रमोटर्स (विकासकर्ताओं) द्वारा आवंटियों से जमा करायी जाने वाली जीएसटी के दरों के सम्बन्ध में।

भू–सम्पदा परियोजनाओं के प्रमोटर्स (विकासकर्ताओं) द्वारा आवंटियों से जमा करायी जाने वाली जीएसटी के दरों के सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु राज्य कर विभाग, उ.प्र. से किये गये अनुरोध के कम में राज्य कर विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 636/एस.टी.एफ.मु. /रेरा/2024–25/राज्य कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से नोटिफिकेशन नं. 11/2017 केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 तथा नोटिफिकेशन नं. 3/2019 केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 के अनुसार अंकित दरें उपलब्ध करायी गयी हैं जो सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न हैं।

जी.एस.टी. दरों के सम्बन्ध में राज्य कर विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि

- जी.एस.टी. की दरें समय–समय पर जी.एस.टी. काउंसिल के द्वारा परिवर्तित की जाती हैं अतः जी.एस.टी. काउंसिल के द्वारा रियल एस्टेट में जी.एस.टी. की दरों में परिवर्तन भविष्य में किया जा सकता है।
- 2. दिनांक 01.04.2019 के पूर्व से चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष प्रमोटर तथा विकासकर्ता के द्वारा जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मैनुअली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए नोटिफिकेशन नम्बर 11/2017 केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार लागू दरों का विकल्प चुना जा सकता है। यदि उसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो (नोटिफिकेशन नम्बर 3/2019 केन्दीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार) दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी नयी दरों के अनुसार कर जमा किया जाना अपेक्षित है। यदि एक बार किसी प्रमोटर ने किसी प्रोजेक्ट के सापेक्ष पुरानी दरों के अनुसार कर जमा करने का विकल्प चुन लिया है तो उसके द्वारा नई हो जा यह कर जमा करने का विकल्प चुन लिया है तो उसके द्वारा नई करों के दर का विकल्प नहीं चुना जा सकता है।

अतः रियल इस्टेट परियोजनाओं पर लागू होने वाली जी.एस.टी. दरों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक–उपरोक्तानुसार

pg 1 - 8

(प्रमोद कुमार उपाध्याय) सचिव

## पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. सहायक निदेशक (सिरटम) को उ.प्र. रेरा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- अध्यक्ष, CREDAI एवं NAREDCO की विभिन्न शाखाओं को ई-मेल के माध्यम से सर्कुलर का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

(rz

(प्रमोद कुमार उपाध्याय) सचिव

## जीएसटी के तहत रियल एस्टेट कराधान

क्र0	परियोजना/भवन/	जीएसटी दर	जीएसटी दर	
रां0	निर्माण का प्रकार	01.04.2019 रो पहले	1.04.2019 से	टिप्पणी
1.	निर्भित फ्लैट/प्रोजेक्ट की बिक्री , जमीन/प्लॉट की बिक्री *पूर्णता प्रमाण पत्र या प्रथम अधिभोग प्रमाण पत्र निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए एफॉर्डेबल अपार्टमेंट/अपार्टमेंट की बिक्री	निल 8%	निल 1%	फ्लैट का पूर्ण भुगतान निर्माण के पूर्व प्राप्त होना चाहिए। दिनांक 01-04-2019 से
		निम्नलिखित योजनाओं के लिए (जैसे- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना, ईडब्ल्यूएस/एल आईजी/एमआई	<ul> <li>केवल वे परियोजनाएँ जो 01.04.2019 को या उसके बाद शुरू होंगी।</li> <li>वे परियोजनाएँ जो शुरू हो चुकी हैं लेकिन कोई बुकिंग नहीं मिली है</li> <li>यदि परियोजना</li> </ul>	एफॉर्डेबल आवासीय अपार्टमेंट को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है- महानगरीय शहरों (जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई) में कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर और अन्य शहरों में
		जोइजा/एनआइ जी, ईडब्ल्यूएस, पीएमएवाई या किसी राज्य सरकार की आवास योजना, आवासीय परिसर मुख्य रूप से स्वयं के	निर्माणाधीन है तो बिल्डर को प्रत्येक परियोजना के लिए पुरानी दर पर जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। • एक बार किसी परियोजना के लिए विकल्प देने के बाद	90 वर्ग मीटर और ली जाने वाली कुल राशि 45 लाख रुपये से अधिक नई है। • यदि बिल्डर द्वारा आईटीसी का लाभ उठाया जाता है तो इसका लाभ खरीदार क दिया जाना चाहिए।
8 Tu-		उपयोग के लिए या अपने कर्मचारियों के लिये)	उसे बदला नहीं जा सकता। • यदि कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो नई दरों को माना जाएगा।	
3.	अन्य आवासीय परियोजनाएँ (एफॉर्डेबल आवास परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं)	12%	5%	

13388

a

4.	वाणिज्यिक अपार्टमेंट - दुकानें, गोदाम, कार्यालय, आदि जो आवासीय रियल एस्टेट परियोजना (RREP) में है	18%	5%	*RREP- आवासीय रियल एस्टेट परियोजना जहां आरईपी में वाणिज्यिक अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया परियोजना में सभी अपार्टमेंट के कुल कार्पेट एरिया का 15% से अधिक नहीं है
5.	रियल एस्टेट परियोजना (REP) में वाणिज्यिक अपार्टमेंट - दुकानें, गोदाम, कार्यालय आदि	18%	12%	
6.	विकास अधिकारों का हस्तांतरण(TDR)/FSI/निर्मित आवासीय अपार्टमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का दीर्धकालिक पट्टा(लीज)	करमुक्त	करमुक्त	
7.	विकास अधिकारों का हस्तांतरण(TDR)/एफएसआई(FSI)/वाणि ज्यिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का दीर्घकालिक पट्टा(लीज)	18%	18%	कर का भुगतान प्रमोटर द्वारा किया जाना है
8.	वर्क्सकॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एफार्डेबल आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए प्रमोटर को कार्य अनुबंध के अन्तर्गत किया जा रहा है।	12%	12%	
9.	वर्क्सकॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी प्रमोटर को अन्य आवासीय अपार्टमेंट या वाणिज्यिक अपार्टमेंट के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध अन्तर्गत किया जा रहा है।	18%	18%	

## **REAL ESTATE TAXATION UNDER GST**

SL NO	TYPE OF PROJECT/BUILDING/ CONSTRUCTION	GST RATE BEFORE 01.04.2019	GST RATE FROM 1.04.2019	REMARKS
1.	Sale of a constructed	No GST	No GST	<ul> <li>The payment must</li> </ul>
	building/complex ready to move in flat or any land *Completion certificate or First	<ul> <li>I a second production of the second seco</li></ul>		have been received after construction is complete.
	occupancy certificate must be provided by specified local authority	la sentre trata la sentre trata man a sentre trata		
2.	Sale of *affordable	8%	1%	*Affordable residential
	Apartments/ Apartments	For mentioned schemes under following	-Only those projects which start on or after	apartment- carpet area 60 sqm in metropolitan cities (viz Bengaluru, Chennai,
		Schemes -	01.04.2019. -Projects which	Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Gurgaon,
		1. Jawaharlal Nehru National Urban	have started but no booking was	Faridabad, Hyderabad, Kolkata and Mumbai) and 90
		Renewal Mission or Rajiv Awas Yojana	received • If project is	sqm in other towns and cities and gross amount
	ан сайтаан ал сайтаан а Тал сайтаан ал сайтаан а	2. In-situ	under construction	charged is not more than Rs 45 Lakhs.
itis s≥		redevelopment of existing slums under	submitted option	<ul> <li>If ITC is availed by</li> </ul>
		the Housing for All (Urban)	to pay GST on old rate for each of the	builder benefit must be passed on to buyer.
÷		Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana	<ul><li>project.</li><li>Once</li></ul>	
- * • -		(Urban) 3. Beneficiary led	option is exercised for a project it	
		individual house construction/enhance	cannot be changed.	
2		ment" under the Housing for All	• In case no option is exercised	
	5 × 2	(Urban)	new rates will be	
		Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana	deemed to be opted.	Anner y a the
		4. Economically	opicu.	n de v <sup>e</sup> tijnes ≕ n n n =
l este s	and the second sec	Weaker Section (EWS) houses" constructed		alah Marana ang Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabup Kabupatèn Kabupatèn Ka
2	No Robert Handling Contraction State	under the Affordable Housing	New All and the second s	
100		5. Credit Linked Subsidy Scheme for		
		EWS/LIG/MIG 6. Low-cost		
		houses up to a carpet	n an	
		area of 60 square meters per house		ೆಗೆ ಸಂಪರ್ ಜನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು
		under scheme framed by Ministry of	an yezhoù ar eo	

Pg 5 d 8

0 10 1 11

		Housing and Urban	-	
		Poverty Alleviation,	1	
	and the second se	Government of India		
		7. Low-		
		cost houses up to a		
	90	carpet area of 60		
		a ga national an anti-		
			New York Control of the	
		Housing for All		n e da degré y de la se
		(Urban) Missian (Bataa)		
		Mission/PMAY or any	ndar.	
		housing scheme of a	Cape 1	
		State Government;		
		8. Low-cost	3.	
		houses up to a carpet	and y	
		area of 60 square	2	1 B
	n <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup>	meters per house in	usi	
		an affordable housing		Second States in the second
		project which has	185 A 1	
		been given		
		infrastructure status	172.8	
	a set to an	9. A residential	- 14 C	
	V 8	complex		
	8	predominantly meant		
		for self-use or the use	1 (1 a.89) ( a.41)	
		of their employees or		
		other persons	- 19) 	
		specified in paragraph		
	15 E-1978 - 81 - 1	3 of the Schedule III		No. 1
3.	Other Residential projects (not	12%	5%	
	categorised as affordable			
	housing projects)		PRE A LA COMPANY	
4.	Commercial Apartments –	18%	5%	*RREP- Residential Real
	shops, godowns, offices, etc.	i sian ang ing a	157 12	Estate Project where in REP
	constructed in *Residential Real			the carpet area of
	Estate Project (RREP)		r (* 1	commercial apartments is
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1	not more than 15% of total
		and the said	Ng	carpet area of all apartments
	- 11	2 m	2 S S S S S S S	in project
5.	Commercial Apartments –	18%	12%	
	shops, godowns, offices, etc.in	1		
	Real Estate Project (REP)	18 <sub>1</sub> - 1	ana a sé é	
5.	Transfer of Development	Evernet	Fuemat	
	-	Exempt	Exempt	
	Rights/FSI/Long term lease of			i deserve
	land used for constructed			
,	residential apartments			
7.	Transfer of Development	18%	18%	Tax is to be paid by
	Rights/FSI/Long term lease of			Promoter
	land used for construction of	N I L T	- Es	

12 600 8

	commercial projects			
9	Where a contractor provides Works Contract Service to a promoter for building of affordable residential apartment	12%	12%	
10	Where a contractor provides Works Contract Service to a promoter for building of other than affordable residential apartment or commercial	18%	18%	
	apartments			

pg 7-08

